01/07/2025

निर्माण कार्य एवं शिक्षण प्रारम्भ हेतु जारी निर्देश

उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग अनुभाग-5 के शासनादेश संख्या: 1036-सत्तर-5-2016-70(32)/2014 द्वारा जुलाई 2016 में इस राजकीय महिला महाविद्यालय का संचालन आरम्भ हुआ। उक्त शासनादेश के क्रम में यह महाविद्यालय शासकीय/ राजकीय उच्च शिक्षण संस्थान है। जिसका पूर्ण प्रबंधन राजकीय है एवं लोकहित में स्थापित यह महाविद्यालय प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नियम/अधिनियम से आच्छादित है।

प्राचार्य

- स्थापना एवं संचालन हेतु शासनदेश संलग्न।

संख्या 1(25/ 33-1-2013

प्रेषक,

विद्यासागर प्रसाद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
आजमगढ़।

पंचायती राज अनुभाग--1 लखनऊ: दिनॉक 3) मई, 2013

विषय-- जनपद आजमगढ़ के ग्राम अहरौला में राजकीय बालिका महाविद्यालय का निर्माण कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-464 / डी0एल0आर0सी0, दिनाक 12 मार्च, 2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद आजमगढ़ के ग्राम अहरौला के भू-खण्ड संख्या--1008 / 0.04 हेक्टे0 भूमि, जो पचायत घर के नाम दर्ज है और जिस पर पंचायत भवन नही बना है, खाली है, पर राजकीय बालिका महाविद्यालय का निर्माण कराये जाने हेतु पंचायती राज विभाग की अनापत्ति इस शर्त के अधीन दी जाती है कि प्रश्नगत भू-खण्ड के पुनर्ग्रहण / हस्तान्तरण के सबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,
(विद्यासागर प्रसाद)
विशेष सचिव।

संख्या-1695(1) / 33-1-2013--तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि--निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(1) विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग--5, उ0प्र0 शासन।
(2) आयुक्त एव सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
(3) निदेशक, पंचायती राज उ0प्र0, लखनऊ को उनके पत्र सरस्वा 4 324 / 1 / 2013-4 / 42 / 2013, दिनाक 10 मई, 2013 के संदर्भ मे।
(4) उपनिदेशक (प0) आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़।
(5) जिला विद्यालय निरीक्षक / परियोजना अधिकारी माध्यमिक शिक्षा, आजमगढ़।
(6) जिला पचायत राज अधिकारी, आजमगढ़।

आज्ञा से,
(राम नगीना मौर्य)
अनु सचिव।

प्राचार्य
राजकीय महिला महाविद्यालय
अहरौला-आजमगढ़

(4)

संख्या 2031 / 79-5-2013-1(60)/12

प्रेषक,

सुनील कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
आजमगढ़, उ0 प्र0 ।

शिक्षा अनुभाग-5

लखनऊ : दिनांक 06 जून, 2013

विषय-ग्राम-अहरौला, जनपद-आजमगढ़ में राजकीय बालिका महाविद्यालय की स्थापना के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-180(6)/डीएलआरसी, दिनांक 19.11.2012 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी के दिनांक 09.10.2012 को जनपद-आजमगढ़ के भ्रमण के दौरान ग्राम-अहरौला, जनपद-आजमगढ़ में राजकीय बालिका महाविद्यालय की स्थापना हेतु की गयी घोषणा के क्रम में ग्राम-[illegible], तहसील-बूढ़नपुर में स्थित गाटा संख्या-1007 [illegible] 0.202 है0 स्कूल खाते में अंकित भूमि पर राजकीय बालिका महाविद्यालय की स्थापना [illegible] प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त ग्राम-[illegible] (मौजा-कौड़िया) तहसील-बूढ़नपुर, जनपद-आजमगढ़ में स्थित गाटा संख्या-1007 [illegible] है0 भूमि जो स्कूल के नाम अंकित है पर राजकीय बालिका महाविद्यालय की स्थापना हेतु अनुमति प्रदान की जाती है।

भवदीय,
(सुनील कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ0प्र0 लखनऊ।
3- सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 इलाहाबाद।
4- जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, आजमगढ़।

आज्ञा से,
(सुनील कुमार)
प्रमुख सचिव

प्राचार्य
राजकीय महिला महाविद्यालय
अहरौला-आजमगढ़

(7)

प्रेषक

जिलाधिकारी,
आजमगढ़।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उच्च शिक्षा,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ

पत्रांक / 2856-89 / 2013-14 दिनांक 5-7-13

विषय – ग्राम समदी विकास खण्ड अहरौला, जनपद आजमगढ़ राजकीय महिला महाविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा दिनांक 09–10–2012 के क्रम में राजकीय महिला महाविद्यालय की स्थापना हेतु अहरौला के पास ग्राम समदी, परगना कौड़िया, तहसील बूढ़नपुर में स्थित गाटा संख्या 1005 रकबा 0.233 हे0, गाटा संख्या 1006 रकबा 0,070 हे0, गाटा संख्या 1007 रकबा 0.202 हे0 तथा गाटा संख्या 1008 रकबा 0.040 हे0 कुल 4 गाटा रकबा 0 535 हे0 को राजकीय महिला महाविद्यालय बनवाने हेतु प्रस्तावित किया गया था। इनमें गाटा संख्या 1005 एवं 1006 का पुर्नग्रहण दिनांक 22–12–2012 को किया जा चुका है। गाटा संख्या 1007 स्कूल की भूमि होने के कारण प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा के पत्र संख्या 2031 / 79–7–2013–1(60) / 12 शिक्षा अनुभाग–5 दिनांक 06–06–2013 द्वारा राजकीय बालिका महाविद्यालय की स्थापना हेतु अनुमति प्रदान की जा चुकी है एवं विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पचायती राज अनुभाग–1 के पत्र संख्या 1625 / 33–1–2013 दिनांक 31–05–2013 द्वारा गाटा संख्या 1008 के सम्बन्ध में अनुमति प्रदान की जा चुकी है। जिस क्रम में गाटा संख्या 1007 एवं 1008 भी राजकीय महिला महाविद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज करायी जा चुकी है, जिसकी खतौनी संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि राजकीय महिला महाविद्यालय के भवन के निर्माण हेतु अग्रिम कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक – उक्तानुसार नकल खतौनी ।

भवदीय,
5/7/13
(नीना शर्मा)
जिलाधिकारी,
आजमगढ़।

संख्या / 2856-89 / 2013-14 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1– प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, पंचम तल, शास्त्री भवन, लखनऊ।
2– आयुक्त, आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़।
3– क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।

5/7/13
(नीना शर्मा)
जिलाधिकारी,
आजमगढ़।

O/C

प्राचार्य
राजकीय महिला महाविद्यालय
अहरौला-आजमगढ़

संख्या–1036 / सत्तर–5–2016–70(32) / 2014

प्रेषक,

मधु जोशी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा,
उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

उच्च शिक्षा अनुभाग–5 लखनऊः दिनांक 28 जुलाई, 2016

विषयः प्रदेश के 04 राजकीय महाविद्यालयों में शैक्षिक तथा शिक्षणेत्तर पदो के सृजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त महाविद्यालयों में निम्न विवरण के अनुसार अस्थाई पदो को इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि या इन पदों पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, जो भी बाद में हो, से दिनांक 28.02.2017 तक सृजित किये जाने की इस शर्त के साथ स्वीकृति प्रदान करते हैं कि इन अस्थायी पदों को इससे पहले बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिया जाय :–

क्र0	पदों का विवरण	संख्या	वेतनबैण्ड (रूपये में)	ग्रेड पे (रूपये में)
1	2	3	4	5
(1) *राजकीय महिला महाविद्यालय शाहगंज, जौनपुर–*				
	प्राचार्य	01	37400–67000	10000
	स्नातक स्तर पर कला संकाय हेतु – प्रवक्ता–हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, इतिहास समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान एवं गृह विज्ञान	07	15600–39100	6000
	स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय हेतु– प्रवक्ता–भौतिकी, रसायन, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं गणित	05	15600–39100	6000
	स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय हेतु प्रवक्ता–वाणिज्य	02	15600–39100	6000
	पुस्तकालयाध्यक्ष	01	15600–39100	6000
	प्रधान सहायक	01	9300–34800	4200
	प्रयोगशाला सहायक	05	5200–20200	1900
	वरिष्ठ सहायक	01	5200–20200	2800
	कनिष्ठ सहायक	02	5200–20200	2000
	प्रयोगशाला परिचर	05	चतुर्थ श्रेणी के पदों पर व्यवस्था आउट सोर्सिंग के माध्यम से की जायेगी	
	कार्यालय परिचर / अर्दली / पुस्तकालय परिचर / स्वीपर / चौकीदार	05	चतुर्थ श्रेणी के पदों पर व्यवस्था आउट सोर्सिंग के माध्यम से की जायेगी	
प्राचार्य सहित शिक्षक श्रेणी के 15 एवं शिक्षणेत्तर श्रेणी के 20 कुल 35 पद				
(2) राजकीय महाविद्यालय महोना, लखनऊ–				
	स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय हेतु– प्रवक्ता–भौतिकी, रसायन, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं गणित	05	15600–39100	6000
	स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय हेतु प्रवक्ता–वाणिज्य	02	15600–39100	6000

Post Srijan-83

प्राचार्य
राजकीय महिला महाविद्यालय
अहरौला-आजमगढ़

प्रयोगशाला सहायक	04	5200–20200	1900
प्रयोगशाला परिचर	04	चतुर्थ श्रेणी के पदों पर व्यवस्था आउट सोर्सिंग के माध्यम से की जायेगी	
शिक्षक श्रेणी के 07 एवं शिक्षणेत्तर श्रेणी के 08 कुल 15 पद			
(3) राजकीय महिला महाविद्यालय कुरावली, मैनपुरी–			
प्राचार्य	01	37400–67000	10000
स्नातक स्तर पर कला संकाय हेतु – प्रवक्ता–हिन्दी, अंग्रेजी, शिक्षाशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान एवं गृह विज्ञान	07	15600–39100	6000
स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय हेतु– प्रवक्ता–भौतिकी, रसायन, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं गणित	05	15600–39100	6000
स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय हेतु प्रवक्ता–वाणिज्य	02	15600–39100	6000
पुस्तकालयाध्यक्ष	01	15600–39100	6000
प्रधान सहायक	01	9300–34800	4200
प्रयोगशाला सहायक	05	5200–20200	1900
वरिष्ठ सहायक	01	5200–20200	2800
कनिष्ठ सहायक	02	5200–20200	2000
प्रयोगशाला परिचर	05	चतुर्थ श्रेणी के पदों पर व्यवस्था आउट सोर्सिंग के माध्यम से की जायेगी	
कार्यालय परिचर / अर्दली / पुस्तकालय परिचर / स्वीपर / चौकीदार	05	चतुर्थ श्रेणी के पदों पर व्यवस्था आउट सोर्सिंग के माध्यम से की जायेगी	
प्राचार्य सहित शिक्षक श्रेणी के 15 एवं शिक्षणेत्तर श्रेणी के 20 कुल 35 पद			
(4) राजकीय महिला महाविद्यालय अहरौला, आजमगढ़–			
प्राचार्य	01	37400–67000	10000
स्नातक स्तर पर कला संकाय हेतु – प्रवक्ता–हिन्दी, अंग्रेजी, शिक्षाशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान एवं गृह विज्ञान	07	15600–39100	6000
स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय हेतु– प्रवक्ता–भौतिकी, रसायन, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं गणित	05	15600–39100	6000
स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय हेतु प्रवक्ता–वाणिज्य	02	15600–39100	6000
पुस्तकालयाध्यक्ष	01	15600–39100	6000
प्रधान सहायक	01	9300–34800	4200
प्रयोगशाला सहायक	05	5200–20200	1900
वरिष्ठ सहायक	01	5200–20200	2800
कनिष्ठ सहायक	02	5200–20200	2000
प्रयोगशाला परिचर	05	चतुर्थ श्रेणी के पदों पर व्यवस्था आउट सोर्सिंग के माध्यम से की जायेगी	
कार्यालय परिचर / अर्दली / पुस्तकालय परिचर / स्वीपर / चौकीदार	05	चतुर्थ श्रेणी के पदों पर व्यवस्था आउट सोर्सिंग के माध्यम से की जायेगी	
प्राचार्य सहित शिक्षक श्रेणी के 15 एवं शिक्षणेत्तर श्रेणी के 20 कुल 35 पद			

2– उक्त पदों पर नियुक्ति / तैनाती सत्र प्रारम्भ होने हेतु समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति होने अथवा शैक्षणिक कार्य प्रचलित होने पर ही की जायेगी। सृजित पदों के वेतन आदि हेतु आवश्यक बजट प्राविधान निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा करा लिया जायेगा।

3– उपरोक्त सभी पद अपने सम्बन्धित संवर्ग में अस्थायी वृद्धि के रूप में माने जायेंगे तथा पदधारकों को समय–समय पर शासन द्वारा अनुमन्य मंहगाई भत्ते व अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।

Post Srijan-84

प्राचार्य
राजकीय महिला महाविद्यालय
अहरौला-आजमगढ़

चतुर्थ श्रेणी के पदों पर तैनाती बाह्य सेवा प्रदाता के माध्यम से की जायेगी।

4—

5— प्रधान सहायक एवं वरिष्ठ सहायक का पद शत—प्रतिशत पदोन्नति का पद है। पदोन्नति हेतु अर्ह अभ्यर्थियों की उपलब्धता जब तक नही हो जाती तब तक इस पद को अन्य राजकीय विभाग से सेवा स्थानान्तरण के आधार पर भरा जायेगा।

6— उक्त पदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016—17 के आय—व्ययक के अनुदान संख्या—73 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2202—सामान्य शिक्षा—आयोजनागत—03—विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा—103—राजकीय कालेज तथा संस्थान—04—राजकीय महाविद्यालयों का सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन तथा नये संकायों एवं विषयों का समावेश" के नामे डाला जायेगा।

7— यह आदेश वित्त विभाग के आशासकीय संख्या—ई—11—1147 / दस—2016 दिनांक 20 जुलाई, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीया,

(मधु जोशी)
विशेष सचिव।

संख्या— (1) / सत्तर—5—2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. महालेखाकार उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. मुख्य कोषाधिकारी, इलाहाबाद।
3. वित्त नियत्रंक, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. सम्बन्धित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी।
5. प्राचार्य, सम्बन्धित महाविद्यालय।
6. वित्त (ई—11) अनुभाग / उच्च शिक्षा अनुभाग—4.
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरेन्द्र कुमार सिंह)
अनु सचिव।

प्राचार्य
राजकीय महिला महाविद्यालय
अहरौला-आजमगढ़